[2021] 4 एस. सी. आर 351

पुनीत शर्मा और ओआरएस। ईटीसी

वी.

हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव

बोर्ड लिमिटेड. & एएनआर। ईटीसी।

(सिविल अपील सं. (एस)। 1318-1322 2021 का)

अप्रैल 07,2021

[उदय उमेश ललित और एस. रवींद्र भाट, जे. जे.]

सेवा कानून: नियुक्ति-पात्रता-हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (एच. पी. एस. एस. सी.) ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एच. पी. एस. ई. बी.) द्वारा भेजे गए अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल)-डिग्री के 222 पदों का विज्ञापन किया।

संबंधित विषय के धारकों ने रिट कार्यवाही में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, यह दावा करते हुए कि चूंकि उनके पास निर्धारित न्यूनतम (और विज्ञापित) योग्यताओं से अधिक शैक्षणिक योग्यताएं हैं, इसलिए उन्हें विचार से वंचित नहीं किया जा सकता है-डिप्लोमा धारकों ने इस दावे का विरोध किया, और तर्क दिया कि डिग्री धारकों के पास जो योग्यताएं हैं, वे न तो अधिक हैं और न ही भर्ती नियमों के अनुसार उन पर विचार किया जा सकता है और न ही एचपीएसएससी द्वारा जारी विज्ञापन के आधार पर-संबंधित भर्ती नियमों के तहत जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के पद पर नियुक्ति के लिए डिग्री धारकों की पात्रता-आयोजित: उच्चतर पद

सहायक अभियंता (कनिष्ठ अभियंता के पदानुक्रम के बाद) के पास लगभग दो तिहाई (64 प्रतिशत) पदोन्नति कोटा है-इन व्यक्तियों में, जिनके पास कनिष्ठ अभियंता के रूप में नियुक्ति से पहले डिग्री थी, वे हैं -

एक अलग और विशिष्ट उप-कोटे में विचार के लिए हकदार, बशर्ते कि वे एक निर्धारित अवधि के लिए लगातार एक जूनियर इंजीनियर के रूप में कार्य करते हों-इस मुख्य पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है; यह केवल नियम निर्माताओं के इरादे को दर्शाता है कि डिग्री धारकों को जूनियर इंजीनियरों के निचले पद के लिए विचार से बाहर नहीं करना था।

योग्यताएँ भी आवेदन करने या विचार किए जाने के हकदार हैं। नियुक्ति-यह संशोधन सभी शंकाओं को दूर करने के लिए लाया गया था।

और विवाद और, उस अर्थ में, संशोधनकारी प्रावधानों को शुरुआत से ही जोड़ा गया माना जाना चाहिए-इस प्रकार, प्रतिवादी एचपीएसईबी को सभी आवेदकों की उम्मीदवारी को संसाधित करने का निर्देश दिया जाता है,

जिन डिग्री धारकों ने भाग लिया, और उत्कृष्ट योग्यता के आधार पर, साक्षात्कार आदि आयोजित करने के बाद, आवश्यक उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची जारी करने के लिए आगे बढ़ें।

मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक और एक अन्य v. अनित कुमार दास 2020 एस. सी. सी. ऑन लाइन एस. सी. 897; ज़िले सिंह वी. हरियाणा राज्य (2004) 8 एससीसी 1: [2004] 3 पूरक। एस. सी. आर. 400; विजय बनाम महाराष्ट्र राज्य (2006) 6 एस. सी. सी. 289 [2006] 4 पूरक। एससीआर 81; मनीष कुमार बनाम। भारत संघ (2019) 8 एससीसी 416: [2019] 10 एससीआर 381-निर्भर

पर। पी. एम. लता और अन्र. वी. केरल राज्य और अन्य। (2003) 3 एस. सी. सी. 541 [2003] 2 एस. सी. आर. 653; योगेश कुमार और अन्य बनाम। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और अन्य (2003) 3 एस. सी. सी. 548: [2003] 2 एस. सी. आर. 662; पंजाब राज्य बनाम अनीता (2015) 2 एससीसी 170: [2014] 14 एस. सी. आर. 819; जहूर अहमद राथर बनाम। शेख इम्तियाज अहमद (2019) 2 एससीसी 404: [2018] 14

एससीआर 1082-प्रतिष्ठित।

ज्योति के. के. बनाम केरल लोक सेवा आयोग (2010) 15 एस. सी. सी. 596; उत्तराखंड राज्य और अन्य बनाम। दीप चंद्र तिवारी और एक अन्य (2013) 15 एससीसी 557:

[2013] 17 एस. सी. आर. 1016; परवेज अहमद पैरी बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य (2015) 17 एस. सी. सी. 709: [2015] 12 एस. सी. आर. 810; महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग, v. संदीप श्रीराम वाराडे और अन्य 2019 (6) एससीसी 362: [2019] 7 एस. सी. आर. 94; क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय, कोच्चि और अन्य बनाम। आराया के. बाबू और अन्र (2019) 8 एससीसी 587: [2019] 11 एस. सी. आर. 627; हिमाचल प्रदेश कर्मचारी

चयन आयोग और अन्य बनाम पवन ठाकुर 2019

(3) शिम। एल. सी. 1676; भूपिंदर शर्मा बनाम। एच. पी. और अन्य राज्य (सी. डब्ल्यू. पी. सं. 161/2019); अविनाश कौंडल बनाम।

हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (सीडब्ल्यूपी सं. 1155/2020); ए. पी. बनाम सरकार पी. दिलीप कुमार 1993 (2) एस. सी. सी. 310 [1993] 1 एस. सी. आर. 435; ए. के. रघुमनी सिंह और अन्य बनाम। गोपाल चंद्र नाथ और अन्य 2000 (4) एस. सी. सी. 30: [2000] 2 एस.

सी. आर. 943; सी. एच. डी. v. उषा खेतरपाल वाई 2011 (9) एस. सी. सी. 645: [2011] 12 एस. सी. आर. 398-संदर्भित।

पुनीत शर्मा बनाम। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड।

मामला कानून संदर्भ

(2010) 15 एस. सी. सी. 596

पैरा

4

संदर्भित किया गया है

[2013] 17 एससीआर 1016

संदर्भित किया गया है

पैरा

4

[2014] 14 एससीआर 819

प्रतिष्ठित

पैरा

4

[2015] 12 एससीआर 810

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 4

[2018] 14 एससीआर 1082

प्रतिष्ठित

पैर

ा 4

[2019] 7 एससीआर 94

संदर्भित किया गया है

पैरा

4

[2019] 11 एससीआर 627

पैरा

4

संदर्भित किया गया है

[1993] 1 एससीआर 435

पैर

ा 5

संदर्भित किया गया है

[2000] 2 एससीआर 943

पैरा

7

संदर्भित किया गया है

[2011] 12 एससीआर 398

पैर

ा 7

संदर्भित किया गया है

[2003] 2 एससीआर 653

प्रतिष्ठित

पैरा

22

[2003] 2 एससीआर 662

प्रतिष्ठित

पैर

ा 22

[2004] 3 पूरक। एससीआर 400

उस पर भरोसा करें

पैर

ा 33

[2006] 4 पूरक। एससीआर 81

उस पर भरोसा करें

पै

रा 34

[2019] 10 एससीआर 381

उस पर भरोसा करें

पै

रा 35

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 1318

1322 2021 से।

उच्च न्यायालय के 14.08.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

सी. डब्ल्यू. पी. सं. 138/2020, सी. डब्ल्यू. पी. ओ. ए. सं. 3601/2019, सी. डब्ल्यू. पी. ओ. ए. सं. 3633/2019, सी. डब्ल्यू. पी. ओ. ए. सं. 6534/2019, सी. डब्ल्यू. पी. ओ. ए. सं. 6252/2020 शिमला में।

के साथ

सिविल अपील सं। 1323-1324 2021 की और लिखित याचिका (सिविल)

2020 का सं. 1028

विकास महाजन, ए. ए. जी., मनिंदर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री कविता

वाडिया, रोहित प्रसाद, अभिनव मुखर्जी, सुश्री बिहू शर्मा, सुश्री प्रतिष्ठा विज, विनोद शर्मा, विनोद कुमार सिंह, अनिल कुमार, राहुल सतीजा, प्रभास बजाज, समीर अली खान, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

21] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

एस. रवींद्र भाट, जे.

1. छुट्टी दे दी गई। वकीलों की सहमति से, अपीलों और याचिकाओं पर अंततः सुनवाई की गई।

2. चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल में डिग्री हो और

इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तकनीकी रूप से उस विषय में डिप्लोमा की तुलना में एक उच्च योग्यता है और क्या डिग्री धारक संबंधित भर्ती नियमों के तहत जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं, यह वह मुद्दा है जो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एक सामान्य निर्णय से उत्पन्न होने वाली इन अपीलों में निर्णय के लिए आता है। जैसा कि स्पष्ट है, यह मुद्दा नया नहीं है और इसकी लगभग स्थानिक प्रवृत्ति की आवश्यकता है।

न्यायिक ध्यान, यद्यपि असंख्य और विविध संदर्भों में।

3. हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (एचपीएसएससी)

इसके बाद), हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा भेजी गई मांग पर कार्रवाई करते हुए, ("एचपीएसईबी" इसके बाद) ने जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल-जिसे इसके बाद "जेई" के रूप में संदर्भित किया जाता है) के 222 पदों का विज्ञापन 27.06.2018 पर किया। संबंधित विषय में डिग्री धारकों ने पद के लिए आवेदन किया; लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, उन्हें दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया गया था लेकिन अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया गया था। उन्होंने रिट कार्यवाही में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, यह दावा करते हुए कि चूंकि उनके पास निर्धारित न्यूनतम (और विज्ञापित) योग्यताओं से अधिक शैक्षणिक योग्यताएँ हैं, इसलिए उन्हें विचार से वंचित नहीं किया जा सकता है। डिप्लोमा धारकों ने इस दावे का विरोध किया और तर्क दिया कि डिग्री धारकों के पास योग्यता न तो अधिक थी और न ही भर्ती नियमों में और हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन द्वारा जारी विज्ञापन के आधार पर भी विचार किया जा सकता है।

1 सी. डब्ल्यू. पी. सं. 138/2020, सी. डब्ल्यू. पी. ओ. ए. सं. 3601/2019 और सी. डब्ल्यू. पी. ओ. ए. सं. 3633/2019 में डिग्री धारकों (इसके बाद 'डिग्री धारकों') द्वारा विचार के अधिकार का दावा करते हुए दायर किया गया है, और सी. डब्ल्यू. पी. ओ. ए. सं. 6534/2019 और सी. डब्ल्यू. पी. ओ. ए. सं. 6252/2020 द्वारा दायर किया गया है। डिप्लोमा धारक ("डिप्लोमा धारक") डिग्री धारकों के दावे का विरोध करते हैं।

पुनीत शर्मा बनाम। हिमाचल प्रदेश राज्य

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

विज्ञापन देकर चयन का संचालन किया, याचिकाओं का विरोध किया और जोर देकर कहा कि डिग्री धारकों को भर्ती के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

4. विवादित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने माना कि

पक्षकारों की प्रस्तुतियाँ, भर्ती नियमों में स्थिति, और इस न्यायालय के विभिन्न निर्णय 2 अपने स्वयं के निर्णयों के अलावा, और निष्कर्ष निकाला कि

" 40. यह ध्यान दिया जाएगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने

स्पष्ट रूप से माना गया कि सामान्य नियम वह उम्मीदवार होगा उच्च योग्यता के साथ निम्न को पूरा माना जाता है

पद के लिए निर्धारित योग्यता। लेकिन उससे भी ऊँचा। योग्यता एक ही चैनल में होनी चाहिए, जो कि नहीं है

वर्तमान मामले में स्थिति। इसलिए, मार्गदर्शक कारक

एक ही पंक्ति में होना चाहिए। इंजीनियरिंग में डिग्री में नहीं है इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के रूप में एक ही पंक्ति और इसलिए,

इसे उच्च योग्यता नहीं माना जा सकता है।

41. कानून के उपरोक्त स्पष्टीकरण के आलोक में निर्णय लिया गया, ए

इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और इंजीनियरिंग में डिग्री दो हैं।

तुलना में उच्च योग्यता के रूप में नहीं देखा जा सकता है उस क्षेत्र में डिप्लोमा।

नतीजतन, डिग्री धारक याचिकाकर्ता नहीं हो सकते हैं

यह आग्रह करने की अनुमति है कि उनके पास उच्च योग्यता है जो

निर्दिष्ट विशिष्ट योग्यताओं की आवश्यकता को पूरा करेगा नियमों या विज्ञापन में।

42. उपरोक्त के अलावा, यह ध्यान दिया जाएगा कि

प्रत्यर्थी-विद्युत बोर्ड ने स्वयं इस पर विचार नहीं किया है

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री

इंजीनियरिंग को डिप्लोमा से बेहतर होना चाहिए और इसके बजाय इलाज किया जाना चाहिए

2 ज्योति के. के बनाम केरल लोक सेवा आयोग (2010) 15 एस. सी. सी. 596; उत्तराखंड राज्य और अन्य बनाम। दीप चंद्र तिवारी और एक अन्य (2013) 15 एस. सी. सी. 557; पंजाब राज्य बनाम अनीता (2015) 2 एस. सी. सी. 170) परवेज अहमद पैरी बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य (2015) 17 एस. सी. सी. 709 जहूर अहमद राथर बनाम शेख इम्तियाज अहमद (2019) 2 एस. सी. सी. 404; महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग, बनाम संदीप श्रीराम वाराडे और अन्य 2019 (6) एस. सी. सी. 362; क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय, कोच्चि और अन्य बनाम आर्या के. बाबू और अन्य (2019) 8 एस. सी. सी. 587

3 हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग और अन्य बनाम पवन ठाकुर 2019 (3) शिम। एल. सी. 1676; भूपिंदर शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (सी. डब्ल्यू. पी. सं. 161/2019); अविनाश कौंडल बनाम हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (सीडब्ल्यूपी सं. 1155/2020)

ये दो अलग-अलग और विशिष्ट योग्यताएँ हैं और यही कारण है कि इसने दिनांकित 03.06.2020 अधिसूचना के माध्यम से संशोधन किया है

जूनियर के पद के लिए भर्ती और पदोन्नति नियम इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल/जूनियर इंजीनियर (आईटी) कक्षा-III (गैर-इंजीनियर)

राजपत्रित) निम्नलिखित तरीके से।

डिग्री धारकों के तर्क

5. डिग्री धारक अपीलार्थियों की ओर से पेश सुश्री कविता वाडिया ने तर्क दिया कि "न्यूनतम" 4 का प्रयोग जानबूझकर नियमों के तहत बिना किसी प्रतिबंध के किया गया था और यह एचपीएसईबी में जे. ई. (इलेक्ट) के पद पर डिग्री धारकों की नियुक्ति को नहीं रोकता था, और यह कि डिप्लोमा केवल एक न्यूनतम आवश्यकता थी। उन्होंने तर्क दिया कि यह सहायक अभियंता (निर्वाचित) के उच्च पदोन्नति पद पर नियुक्ति के लिए नियमों के खंड 11 से संदेह से परे स्थापित किया गया है, जहां जे. ई. (निर्वाचित) के रूप में अपनी नियुक्ति के समय डिग्री रखने वालों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण और जे. ई. (निर्वाचित) के रूप में अपनी सेवा के दौरान डिग्री प्राप्त करने वालों के लिए अलग से 5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। वह ए. पी. सरकार बनाम पी. दलीप कुमार 3 में इस अदालत के फैसले पर निर्भर करती है, जिसमें कहा गया था कि अभिव्यक्ति

‘ न्यूनतम 'नियोक्ता को उच्च श्रेणी वाले व्यक्ति को चुनने का अधिकार देता है।

योग्यता. न्यूनतम उसी के लिए एक कट-ऑफ फिल्टर के रूप में कार्य करता है, और उच्च योग्य उम्मीदवारों की भर्ती पर रोक नहीं लगाता है।

6. सुश्री वाडिया प्रस्तुत करती हैं कि डिप्लोमा धारकों के तर्क, अर्थात।

4 (एच. पी. एस. ई. बी. ने जूनियर इंजीनियर (निर्वाचित) के पद के लिए भर्ती और पदोन्नति नियमों के कॉलम-2,7 और 10 में संशोधन किया है।) अधिसूचना सं. द्वारा अधिसूचित। एच. पी. एस. ई. सी. (एस. ई. सी. टी. टी.) आर एंड ई/106-10/2006-93342-562 दिनांकित 13.12.2006 और अधिसूचना सं. एचपीएसईसी (एसईसीटीटी) आर एंड ई/106-10/2010-22792 991 दिनांकित 25.05.2010) जो इस प्रकार है: " जे. ई. (इलेक्ट) पद के लिए केंद्र/राज्य सरकार द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ न्यूनतम मैट्रिक। 5 1993 (2) एस. सी. सी 310 (संदर्भ। पैरा 13 और 15)

पुनीत शर्मा बनाम। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

सुश्री वाडिया का तर्क है कि उस मामले में न्यूनतम योग्यता केवल मैट्रिक होगी, जो नियम के उद्देश्य को विफल करती है, जो यह है कि मैट्रिक वाले उन डिप्लोमा धारकों को न्यूनतम या सीमा योग्यता रखने वाले के रूप में माना जाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एच. पी. एस. ई. बी. में जे. ई. (इलेक्ट) के पद पर डिग्री धारकों की नियुक्ति से संबंधित नियमों के तहत जानबूझकर बिना किसी प्रतिबंध के "न्यूनतम" का उपयोग किया गया था, जिससे डिप्लोमा केवल एक न्यूनतम आवश्यकता बन गई थी। सहायक अभियंता (निर्वाचित) के उच्च पदोन्नति पद पर नियुक्ति के लिए नियमों के खंड 11 से यह संदेह से परे स्थापित किया गया है। 'न्यूनतम' अभिव्यक्ति नियोक्ता को उच्च श्रेणी वाले व्यक्ति को चुनने का अधिकार देती है।

'न्यूनतम' के रूप में योग्यता उसी के लिए एक कट ऑफ फिल्टर के रूप में कार्य करती है और उच्च योग्य लोगों की भर्ती पर रोक नहीं लगाती है। 7. यह भी तर्क दिया जाता है कि खंड 7 में "के साथ" शब्द, (ऊपर पुनः प्रस्तुत) शब्दों के उक्त समूह में सहायक है, क्योंकि यह जोड़ता है

एक वाक्य का अर्थ लेकिन जब हटा दिया जाता है, तो उसके व्याकरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। एक संज्ञा के रूप में, एक संयोजन एक ही वजन के दो घटकों को जोड़ता है जैसे कि समन्वयकारी संयोजन। यह भी आग्रह किया जाता है कि ए. के. रघुमनी सिंह और अन्य बनाम मामले में निर्णय लिया जाए। गोपाल चंद्र नाथ एंड ओआरएस "लागू नहीं है क्योंकि यह मुद्दा था कि क्या अनुभव की आवश्यकता है

डिग्री के समतुल्य योग्यता डिग्री प्राप्त करने के बाद या उससे पहले थी। यह मानने के लिए कि डिग्री प्राप्त करने के बाद अनुभव प्राप्त किया जाना था, "के साथ" को "के बाद" के रूप में पढ़ा जाता। इसके अलावा, इस अदालत ने कहा कि "के साथ" की प्रासंगिक रूप से व्याख्या की जानी चाहिए और उक्त नियम के संदर्भ में यह एक असंगत होना चाहिए। यह तर्क दिया जाता है कि वर्तमान मामले में, यदि इस शब्द की व्याख्या प्रासंगिक रूप से इस अर्थ में की जानी चाहिए कि मैट्रिक के दौरान डिप्लोमा न्यूनतम नहीं होगा।

समय सह-संबंधित खंड 11 (v) को अन्य रूप में प्रस्तुत करता है। यह नियमों की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के विपरीत है, जो विधायक के इरादे को इकट्ठा करने के लिए लागू होना चाहिए। अपीलार्थी सीएचडी वी. उषा पर निर्भर करता है। खेतेरपाल वाई 'जहाँ इस न्यायालय ने कहा कि जब तक नियोक्ता द्वारा निर्धारित योग्यता उचित रूप से प्रासंगिक है और है

पद से जुड़े कार्य और कर्तव्यों के साथ एक तर्कसंगत संबंध, और संविधान या क़ानून और नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते हैं, इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। वकील ने प्रस्तुत किया कि विवादित निर्णय में अंतर करने और ज्योति के. के. 3 का पालन न करने में त्रुटि हुई।

62000 (4) एससीसी 30

72011 (9) एस. सी. सी. 645

8. अंत में यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने जहूर अहमद (ऊपर) में इस अदालत के फैसले को लागू करने में गलती की क्योंकि यह संबंधित था

तकनीशियन III के पद पर नियुक्तियां जो क्षेत्र की नौकरियों के लिए अधिक संबंधित है, और उक्त पद के लिए 'आईटीआई' प्रमाणपत्र धारकों के विचार को डिप्लोमा धारकों के बहिष्कार तक सीमित कर दिया। वर्तमान मामले में,

प्रासंगिक पद जे. ई. (इलेक्ट) का एक उच्च पद है जिसमें से पदोन्नति का पद ए. ई. (इलेक्ट) का है। इसके अलावा, ज़हूर अहमद (ऊपर) में नियमों में "न्यूनतम" शब्द का उपयोग नहीं किया गया था और विज्ञापन में एक नोट में इसका उल्लेख किया गया था, जिसकी व्याख्या इस अदालत ने की थी। अंत में यह आग्रह किया गया कि यह विवाद में नहीं है कि नियुक्ति प्राधिकरण नियमों की अवहेलना नहीं कर सकता है या नियुक्तियां नहीं कर सकता है और न ही शासी और लागू नियमों के विपरीत दृष्टिकोण का समर्थन कर सकता है। तथापि, वर्तमान मामले में लागू नियमों को सार्थक, उद्देश्यपूर्ण और इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए जो पदों और राज्य के साथ-साथ अधिवास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नियमों में बनाए रखी जाने वाली पूरी योजना और संतुलन के लिए विनाशकारी न हो। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विवादित आदेश के पैरा 40 से 42 में पहले के नियमों और 2020 के नियमों की व्याख्या विनाशकारी है और नियम निर्माताओं के इरादे के लिए पूरी तरह से हिंसा करती है।

9. प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं की ओर से, अर्थात डिप्लोमा धारकों, श्री मनिंदर सिंह, विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस अदालत से अनुरोध किया कि उच्च न्यायालय के सुविचारित निर्णय में हस्तक्षेप करना। यह प्रस्तुत किया जाता है कि "न्यूनतम" अभिव्यक्ति का उपयोग शैक्षणिक योग्यता के साथ किया जाता है, यानी मैट्रिक और आवश्यक तकनीकी योग्यता के साथ नहीं। ए

डिप्लोमा। तीन साल का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया जा सकता है। उससे पहले मैट्रिक या दो साल का अध्ययन पूरा करने के बाद-स्कूल में 10 वीं कक्षा के बाद होना चाहिए।

इसलिए, पात्र होने के लिए उम्मीदवार को डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए।

10. यह तर्क दिया गया था कि न्यूनतम "मैट्रिक" और डिप्लोमा के बीच "के साथ" का उपयोग एक विभेदक के रूप में काम करता है। इसे डिप्लोमा शब्द के साथ नहीं पढ़ा जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चयन के लिए केवल प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं जैसे डिप्लोमा धारकों पर विचार किया जा सकता है। चयन को 02.09.2020 पर अंतिम रूप दिया गया और चयन सूची आयोग द्वारा तैयार की गई। पात्रता शर्तों को पूरा करने और एक वैध और कानूनी चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाने के बाद, पूरी भर्ती प्रक्रिया वैध थी। तदनुसार, प्रतिस्पर्धा करने वाले पुनीत शर्मा बनाम।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

जो उत्तरदाता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और सफल हुए, वे नियुक्त होने के योग्य थे।

11. विद्वान वकील ने यह प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक नियमों पर भरोसा किया कि बोर्ड द्वारा पदों की श्रेणी का चयन करने के लिए सीधी भर्ती की जाती है।

यानी उप-स्टेशन अटेंडेंट, इलेक्ट्रीशियन और लाइनमैन जिनके लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता आईटीआई के साथ मैट्रिक है। इन श्रेणियों के पदों के लिए, नियमों में सचेत परिवर्तन किया गया था जो 03.05.2018 से प्रभावी था जब शब्द "या कोई अन्य उच्च योग्यता"

उसी व्यापार में "हटा दिए गए थे। इस प्रकार, 03.05.2018 डिप्लोमा धारक सब-स्टेशन अटेंडेंट, इलेक्ट्रीशियन और लाइनमैन के पद के लिए विचार के लिए अयोग्य थे। दूसरा, जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के पद के लिए, आवश्यक योग्यता-जो चुनौती के तहत है, केवल डिप्लोमा धारकों के लिए आरक्षित है। तीसरा, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या ए. एम. आई. ई. में नियमित/पूर्णकालिक डिग्री या पूर्णकालिक कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इसके समकक्ष सहायक इंजीनियरों के लिए सीधी भर्ती संभव है। इसलिए, डिप्लोमा धारकों को सीधे उप-स्टेशन परिचरों के निचले ग्रेड में 03.05.2018 या सहायक अभियंताओं के रूप में भर्ती नहीं किया जा सकता है।

12. यह बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश में 15 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं जबकि केवल तीन सरकारी कॉलेज हैं।

महाविद्यालय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। डिप्लोमा पाठ्यक्रम महाविद्यालय में छात्रों की संख्या 400 है, जबकि सरकारी महाविद्यालयों में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री पाठ्यक्रमों में 170 छात्र हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, यदि डिग्री धारकों को डिप्लोमा धारकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जाती है, तो बाद वाले को गंभीर रूप से नुकसान होगा और उन्हें नुकसान होगा।

13. यह प्रस्तुत किया जाता है कि एच. पी. एस. ई. बी. के लिए भर्ती नियमों पर बारीकी से नज़र डालने से आगे पता चलेगा कि उच्च पदों के संबंध में भी

सहायक इंजीनियर, डिग्री धारक 36 प्रतिशत सीधी भर्ती के हकदार हैं; डिप्लोमा धारक 64 प्रतिशत के कोटे में पदोन्नत होने के हकदार हैं। भर्ती नियमों के प्रासंगिक भाग, जो प्रस्तुत किए गए हैं, निम्नलिखित इंगित करते हैं:

[(i) जूनियर इंजीनियर/जूनियर इंजीनियर (सब-स्टेशन)/जूनियर इंजीनियर (सी/रूम)/जूनियर इंजीनियर (पावर हाउस)/जूनियर इंजीनियर (टेस्ट)/जूनियर इंजीनियर (इंस्टालेशन)/जूनियर इंजीनियर

संबंधित व्यापार में इंजीनियर (टेलीफोन)/फोरमैन, जो [2021] 4 एस. सी. आर.

40 प्रतिशत तक ग्रेड में 7 साल की सेवा के साथ डिप्लोमा धारक हैं।

(ii) जूनियर इंजीनियर/जूनियर इंजीनियर (सब-स्टेशन)/जूनियर इंजीनियर (सी/रूम)/जूनियर इंजीनियर (पावर हाउस)/जूनियर इंजीनियर (टेस्ट)/जूनियर इंजीनियर (इंस्टालेशन)/जूनियर इंजीनियर

संबंधित व्यापार में इंजीनियर (टेलीफोन)/फोरमैन, अर्थात वे व्यक्ति जो आई. टी. आई. में 12 वर्ष की सेवा के लिए योग्य हैं।

व्यापार।

(बी) जूनियर इंजीनियर/जूनियर इंजीनियर (सब-स्टेशन)/जूनियर इंजीनियर (सी/रूम)/जूनियर इंजीनियर (पावर हाउस)/जूनियर इंजीनियर (टेस्ट)/जूनियर इंजीनियर (इंस्टालेशन)/जूनियर इंजीनियर

संबंधित व्यापार में इंजीनियर (टेलीफोन)/फोरमैन, अर्थात ग्रेड (ए) + (बी) में 15 साल की सेवा वाले गैर-आईटीआई धारक

10 % .

=

(iii) उन व्यक्तियों में से जो ए. एम. आई. ई. (अनुभाग ए और बी) की योग्यता उत्तीर्ण/प्राप्त करते हैं या जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग/कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक/नियमित डिग्री प्राप्त करते हैं। इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन

5 प्रतिशत की सीमा तक सेवा की पुष्टि के बाद सेवा में प्रौद्योगिकी।

(iv) ड्राइंग कर्मचारी

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ड्राफ्टमैनशिप का डिप्लोमा प्रमाणपत्र के साथ सर्कल हेड ड्राफ्टमैन, जिसमें ग्रेड में 5 साल की सेवा के साथ ड्राफ्टमैन/सर्कल हेड ड्राफ्टमैन के रूप में 10 साल की सेवा और ड्राफ्टमैन संवर्ग में संयुक्त 15 साल की सेवा के साथः 4 %

(v) जे. ई. के रूप में सेवा में शामिल होने से पहले जिनके पास नियमित/नियमित पद हैं।

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग/कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग और सूचना में पूर्णकालिक डिग्री।

ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रौद्योगिकी, पूर्व सैनिक जिनके पास प्रासंगिक योग्यता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग स्ट्रीम/विषय में मान्यता प्राप्त डिग्री के लिए समकक्षता

भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या ए. एम. आई. ई. पुनीत शर्मा बनाम वाले व्यक्ति।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

संस्थान से उपरोक्त धारा/विषय में योग्यता सेवा की पुष्टि के बाद इंजीनियर (भारत कलकत्ता)

=

5 % .]

14. यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रचार कोटा का विभाजन दिखाया गया है

कुल पदोन्नति कोटा से पता चलता है कि 59 प्रतिशत स्पष्ट रूप से डिप्लोमा धारकों के लिए निर्धारित है और जिन जूनियर इंजीनियरों के पास डिग्री है, वे कर सकते हैं। 5 प्रतिशत कोटा में आवेदन करें। इसका यह भी तात्पर्य है कि कुछ डिग्री धारकों को नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते उनके पास डिप्लोमा भी हो। रिलायंस को वरिष्ठता सूची के कुछ उद्धरणों पर रखा गया है, जिसमें नौ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, जिनके पास डिप्लोमा और बी. टेक/ए. एम. आई. ई. दोनों योग्यताएं हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसे व्यक्तियों की भर्ती डिग्री के आधार पर नहीं की गई थी

योग्यताएँ, बल्कि इसलिए कि उनके पास आवश्यक डिप्लोमा योग्यताएँ थीं।

15. इसके अलावा यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसमें कुछ भी नहीं है

भर्ती नियम, या तो व्यक्त या निहित, जो राज्य के अधिकारियों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री रखने वाले लेकिन डिप्लोमा नहीं रखने वालों की उम्मीदवारी पर विचार करने और प्रक्रिया करने की अनुमति देते थे। यह है।

प्रस्तुत किया कि विवादित निर्णय ने काफी सही अनुमान लगाया कि ज्योति के. के. (ऊपर) में निर्णय अब अनीता (ऊपर) और जहूर अहमद राथर (ऊपर) में इस न्यायालय के बाद के फैसले को देखते हुए एक बाध्यकारी प्राधिकरण नहीं था। उन निर्णयों में कहा गया था कि न्यूनतम योग्यता का प्रिस्क्रिप्शन (अनिवार्य परिस्थितियों में अनुपस्थित) विषय में उच्च योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को आवेदन करने और नियुक्ति के लिए विचार करने की अनुमति नहीं देता है।

16. एच. पी. एस. ई. बी. प्रस्तुत करता है कि विचाराधीन नियम ऐसा होना चाहिए

व्याख्या की गई और डिग्री धारकों को चयन का मौका देने के लिए आवेदन किया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बेहतर योग्य व्यक्तियों को बाहर करने के लिए नियमों की कोई भी व्याख्या तर्कहीन है और नियोक्ता को बेहतर योग्य उम्मीदवार चुनने का मौका छीनती है। यह भी तर्क दिया जाता है कि जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) का पद तकनीकी है और जनहित की मांग है कि नियम की व्याख्या डिग्री रखने वाले किसी व्यक्ति पर विचार करे।

17. एच. एस. ई. बी. के वकील ने तर्क दिया कि यह अंतर्निहित अधिकार है

नियोक्ता को सार्वजनिक नियुक्ति के लिए बेहतर योग्य व्यक्तियों की तलाश करनी चाहिए; इसके अलावा योग्यता की समानता अदालतों द्वारा निर्धारित करने का विषय नहीं है। एच. एस. ई. बी. ने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि डिग्री डिप्लोमा से बेहतर योग्यता नहीं है, बिना किसी विशेषज्ञ के विचार के और स्थापित कानून के विपरीत है। इसने आगे तर्क दिया कि [2021] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिनांकित 03.06.2020 अधिसूचना सभी विभागों में तकनीकी पदों के लिए राज्य सरकार में भर्ती मानदंडों को तर्कसंगत बनाने के प्रयास का एक परिणाम है और यह वर्ष 2019 में शुरू होने वाली एक कवायद का परिणाम है और इसका वर्तमान मुकदमेबाजी से कोई लेना-देना नहीं है, और यह अधिसूचना संभावित रूप से लागू होती है। इसे किसी भी तरह से पहली बार इस अदालत के समक्ष केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अधिसूचना की गलत व्याख्या की गई है।

विश्लेषण और निष्कर्ष:

18. आवश्यक योग्यता निर्धारित करने वाले प्रासंगिक नियम

जे. ई. के पद को तैयार किया गया और 13.12.2006 पर लागू किया गया; उन्होंने 1996 में एच. पी. एस. ई. बी. द्वारा बनाए गए तत्कालीन मौजूदा नियमों को निरस्त कर दिया। अधिसूचना जिस हद तक प्रासंगिक है, उसे नीचे निकाला गया है:

7 न्यूनतम शैक्षिक और अन्य आवश्यक

सीधी भर्तियों के लिए आवश्यक योग्यता

I) डिप्लोमा के साथ न्यूनतम मैट्रिक

इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार/कंप्यूटर

द.

विज्ञान

से

मान्यता प्राप्त

द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त

संस्थान/बोर्ड/विश्वविद्यालय

केंद्र या राज्य सरकार।

वांछनीय

II) रीति-रिवाजों, शिष्टाचार और बोलियों का ज्ञान

हिमाचल प्रदेश और नियुक्ति के लिए

उपयुक्तता

राज्य में प्रचलित विचित्र परिस्थितियाँ।

10 भर्ती की विधि चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो

भर्ती का तरीका

भर्ती या पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति द्वारा,

आई. 80 % नियमित या अनुबंध पर

सीधी भर्ती द्वारा

स्थानांतरण

विभागीय भर्ती समिति सहित

समय-समय पर बोर्ड द्वारा गठित।

ii. 20 % पदोन्नति द्वारा।

जहाँ बोर्ड की राय है कि यह आवश्यक है

18 आराम करने की शक्ति

या ऐसा करने के लिए समीचीन, यह

लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए आदेश द्वारा किसी भी प्रावधान में ढील दे सकता है -

व्यक्तियों या पदों के किसी भी वर्ग या

श्रेणी के संबंध में इन नियमों के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी

बोर्ड के डब्ल्यूटीएम।

19. 12.01.2007 पर, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

(ए. आई. सी. टी. ई.) ने निर्धारित किया कि एक छात्र कम से कम 3 साल के संस्थागत अध्ययन (10 + 2 माध्यमिक परीक्षा के बाद) के माध्यम से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करता है। डिप्लोमा धारकों को अकादमिक रूप से समकक्ष होना था

वे छात्र जो 4 वर्षीय इंजीनियरिंग डिग्री कार्यक्रम के पहले वर्ष में उत्तीर्ण हुए। खंड 11 द्वारा 24.05.2010 पर भर्ती और पदोन्नति

एच. पी. एस. ई. बी. पर लागू विनियमों में संशोधन किया गया; उन्होंने जूनियर इंजीनियर पुनीत शर्मा बनाम के पद से पदोन्नति के लिए आवश्यक योग्यता प्रदान की।

(इलेक्ट्रिकल) सहायक अभियंता (इलेक्ट्रिकल) के पद पर। आई. डी. 1 से प्रभावी, एच. पी. एस. ई. बी. द्वारा भर्ती और विनियमों के नियमों में संशोधन किया गया-अन्य बातों के साथ-साथ सहायक अभियंता के संवर्ग में, पदोन्नति कोटे (सेवारत कनिष्ठ अभियंताओं में से) में दो अलग-अलग कोटा प्रदान किया गया। पुष्टि के बाद न्यूनतम एक वर्ष की नियमित सेवा के साथ सेवा में ए. एम. आई. ई./इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग योग्यता आदि में डिग्री प्राप्त करने वालों के लिए उपलब्ध 6 प्रतिशत का मौजूदा कोटा घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया। संशोधन। इसके अलावा, जूनियर इंजीनियरों के संवर्ग से सहायक इंजीनियर के पद के लिए पदोन्नति कोटा (जिसके साथ वर्तमान

विवाद का संबंध है) 5 प्रतिशत की सीमा तक विचार के योग्य था। इस कोटे की पहचान विशेष रूप से उन लोगों के रूप में की गई थी जिन्होंने "जूनियर इंजीनियर की सेवा में शामिल होने से पहले" अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की थी। 2012 के संशोधनों के प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिए गए हैं:

" सहायक इंजीनियर (ई)

COL। 7 (सीधी भर्ती)

न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य आवश्यक योग्यताएँ

सीधी भर्ती।

मौजूदा प्रावधान

संशोधित

प्रावधान

i) इलेक्ट्रिकल में मान्यता प्राप्त डिग्री i) इलेक्ट्रिकल में नियमित/पूर्णकालिक डिग्री

इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग

मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग

मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से विधिवत अनुमोदित

केंद्र/राज्य सरकार द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त। के लिए

ए. आई. सी. टी. ई. या ए. एम. आई. ई. द्वारा इंजीनियर्स संस्थान से

(भारत कलकत्ता) या पूर्व सैनिक जिनके पास है

एई (ई) पद।

किसी मान्यता प्राप्त डिग्री के लिए

प्रासंगिक समतुल्यता

(ii) कंप्यूटर विज्ञान में मान्यता प्राप्त डिग्री।

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उपरोक्त

धारा/अनुशासन। में से

इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक और संचार

भारत AE (E) पदों के लिए।

इंजीनियरिंग या सूचना प्रौद्योगिकी या इसके

(ख)

कंप्यूटर में नियमित/पूर्णकालिक

डिग्री

केंद्रीय राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष

विज्ञान इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक

और संचार

सरकार. एई (आईटी) पद के लिए।

किसी मान्यता प्राप्त

संस्थान/विश्वविद्यालय से समकक्ष

उपरोक्त में ए. आई. सी. टी. ई या ए. एम. आई. ई. द्वारा विधिवत अनुमोदित

वांछनीय

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त

धारा/अनुशासन। भारत का

(क) में काम करने का अनुभव

एई (ई) पद के लिए।

पहाड़ी क्षेत्रों में डिजाइन/निर्माण। (ख) रीति-रिवाजों, शिष्टाचार और रीति-

रिवाजों का ज्ञान।

वांछनीय

हिमाचल प्रदेश की बोलियाँ और उनके लिए उपयुक्तता

(क) कार्य करने का अनुभव

में

प्रचलित विशिष्ट परिस्थितियों में नियुक्ति

पहाड़ी क्षेत्रों में डिजाइन/निर्माण।

(ख) रीति-रिवाजों, शिष्टाचार और बोलियों का ज्ञान।

राज्य।

हिमाचल प्रदेश और नियुक्ति के लिए उपयुक्तता

राज्य में प्रचलित विशिष्ट परिस्थितियों में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सहायक इंजीनियर (ई)

कर्नल संख्या 11 (iii) (iv) और (v)

पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में,

जिन श्रेणियों से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है।

मौजूदा प्रावधान

संशोधित प्रावधान

((iii) उन व्यक्तियों में से जो उत्तीर्ण/अर्जित करते हैं।

(iii) उन व्यक्तियों में से जो उत्तीर्ण/प्राप्त करते हैं

इलेक्ट्रिकल में ए. एम. आई. ई./डिग्री की योग्यता

ए. एम. आई. ई. (अनुभाग ए और बी) की योग्यता या जो प्राप्त करता है

इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग /

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक/नियमित डिग्री /

कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक और

इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग/कंप्यूटर विज्ञान

संचार इंजीनियरिंग और सूचना

इंजीनियरिंग। सेवा में इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी

न्यूनतम एक वर्ष की सेवा में प्रौद्योगिकी

सेवा के लिए पुष्टि। = 5 %

सेवा की पुष्टि के बाद नियमित सेवा

= 6 %

((iv) ड्राइंग स्टाफ:

((iv) ड्राइंग स्टाफ:

सर्कल हेड ड्राफ्ट्समैन जिनके पास डिप्लोमा है

सर्कल हेड ड्राफ्ट्समैन जिनके पास इलेक्ट में डिप्लोमा है। इंजीनियरिंग या डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ ड्राफ्टमैनशिप

चुनें। इंजीनियरिंग या डिप्लोमा प्रमाणपत्र किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ड्राफ्टमैनशिप

5 वर्ष की सेवा वाले किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से

5 ग्रेड में वर्षों की सेवा जो विफल हो रही है 10

असफल होने वाला ग्रेड जो 10 साल की सेवा के रूप में

ड्राफ्ट्समैन/हेड के रूप में

ड्राफ्ट्समैन/हेड ड्राफ्ट्समैन/सर्कल हेड

वर्षों '

सेवा

ड्राफ्ट्समैन और दोनों में असफल होने पर कुल 15 साल की सेवाएँ

ड्राफ्ट्समैन/सर्कल हेड ड्राफ्ट्समैन और

ड्राफ्ट्समैन कैडर। 4 %

दोनों में कुल 15 साल की सेवाओं में विफल

ड्राफ्ट्समैन कैडर। = 3 %

(v) जे. ई. के रूप में सेवा में शामिल होने से पहले जिनके पास स्वामित्व है

(v) जे. ई. के रूप में सेवाओं में शामिल होने से पहले जिनके पास स्वामित्व है

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नियमित/पूर्णकालिक डिग्री /

इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग/कंप्यूटर विज्ञान

इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग/कंप्यूटर विज्ञान

इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार

इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग

ए से इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी

& किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सूचना प्रौद्योगिकी

ए. एम. आई. ई. सहित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और

ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा अनुमोदित। भूतपूर्व सैनिक जिनके पास है

संवर्ग में न्यूनतम एक वर्ष की नियमित सेवा

मान्यता प्राप्त व्यक्ति के लिए प्रासंगिक योग्यता समतुल्यता

सेवा में पुष्टि के बाद जे. ई.। = 5 %

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग में डिग्री सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग स्ट्रीम/अनुशासन। भारत का या ए. एम. आई. ई. रखने वाला व्यक्ति

पुष्टि के बाद संस्थान या इंजीनियरों (भारत कलकत्ता) से उपरोक्त धारा/विषय में योग्यता

सेवा करते हैं। = 5 %

ध्यान दें: अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

ये संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

20. विचाराधीन विज्ञापन द्वारा, एचपीएसईबी ने आवेदन आमंत्रित किए

जे. ई. (इलेक्ट्रिकल) कैडर में 222 रिक्तियों पर सीधी भर्ती के लिए। वर्तमान अपीलार्थियों (जो डिग्री धारक हैं) सहित कई उम्मीदवारों ने आवेदन किया। उन्हें लिखित परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई थी और उनमें से कई को साक्षात्कार और दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भी बुलाया गया था- अप्रैल 2019 में। जब मामले इस तरह के थे, तो डिप्लोमा धारकों ने राज्य प्रशासन के समक्ष एक आवेदन को प्राथमिकता दी।

न्यायाधिकरण। दिनांक 21.12.2018 के आदेश द्वारा न्यायाधिकरण ने भर्ती प्रक्रिया को बाधित कर दिया। चूंकि प्रश्न पर नियमों की व्याख्या के संबंध में कुछ संघर्ष और भ्रम था अर्थात क्या 9 0.

2018 की A.7397 पुनीत शर्मा बनाम। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

डिग्री धारक जूनियर इंजीनियर के पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते थे, अन्य रिट याचिकाओं को प्राथमिकता दी गई थी। उच्च न्यायालय ने एक विशेषज्ञ का गठन किया

शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता की समानता के सभी मुद्दों की जांच करने के लिए समिति और यह भी कि क्या समान योग्यता रखने वाले व्यक्ति विज्ञापित पद के लिए पात्र थे। जहूर अहमद राथर (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय से प्रभावित समिति ने इस रिपोर्ट द्वारा यह राय व्यक्त की कि उच्च योग्यता रखने वाले उम्मीदवार विचार के लिए पात्र नहीं थे। उच्च न्यायालय के समक्ष अन्य रिट याचिकाओं को भी प्राथमिकता दी गई।

कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ न्यूनतम मैट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक और संचार इंजीनियरिंग के साथ-साथ डिग्री वाले लोग। संशोधन इस प्रकार है:

" कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री या

इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और संचार इंजीनियरिंग या

राज्य/केंद्र सरकार द्वारा कानून द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से सूचना प्रौद्योगिकी। या इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) से ए. एम. आई. ई. (केवल वे उम्मीदवार जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) कोलकाता में ए. एम. आई. ई. के लिए नामांकित हैं, उन्हें 3105.2013 तक स्थायी मान्यता दी जाएगी)

पात्र होंगे।'

इंजीनियर। डब्ल्यू. पी. (सी) 1028/2020 में, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 03.06.2020 की अधिसूचना मनमाना है क्योंकि यह संभावित है; वैकल्पिक रूप से, वे दावा करें कि इसे स्पष्टीकरण के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और इसलिए हमेशा लागू होना चाहिए।

22. यह प्रश्न कि क्या विशेष शैक्षणिक योग्यता की शर्त या प्रिस्क्रिप्शन एक ऐसे आवेदक को बाहर करता है जिसके पास है

जिसे उच्च योग्यता कहा जाता है, उनकी उम्मीदवारी से लेकर संबंधित पद तक अक्सर इस न्यायालय द्वारा विचार के लिए उत्पन्न किया गया है। पी. एम. लता और अन्र में। वी. केरल राज्य और अन्य "।, विचार के लिए जो मुद्दा उठा वह यह था कि क्या प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों के लिए निर्धारित

10 एक आदेश दिनांक 21.05.2019 11 (2003) 3 SCC 541 [2021] 4 S. C. R.

(और विज्ञापित) योग्यता प्रशिक्षित शिक्षक प्रमाण पत्र (टी. टी. सी.) में वे लोग शामिल थे जिनके पास बी. एड. की डिग्री थी। इस अदालत में स्पष्ट था यह मानते हुए कि बी. एड. योग्यता को टी. टी. सी. की तुलना में उच्च योग्यता के रूप में नहीं माना जा सकता है और टी. टी. सी. योग्यता "विशेष रूप से छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों को" प्राथमिक कक्षाओं में दी गई थी, जबकि बी. एड. वाले छात्रों को "उच्च कक्षाओं" के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। इसी तरह का विचार योगेश कुमार और ओरस बनाम में व्यक्त किया गया था। एन. सी. टी. दिल्ली सरकार और अन्य 1 2 बनाम-ए-समान

शर्त अर्थात बी. एड. और टी. टी. सी. योग्यताएँ। न्यायालय ने आगे योगेश कुमार (उपरोक्त) में कहा कि "प्राथमिक स्तर पर छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को दिए गए विशेष प्रशिक्षण की तुलना नहीं की जा सकती है।

धारकों को उप-अभियंता (विद्युत) के पद के लिए विचार किया जा सकता है केरल राज्य विद्युत बोर्ड, जिसने पात्रता मानदंड के रूप में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या एस. एस. एल. सी. या इसके समकक्ष में डिप्लोमा निर्धारित किया था। इस न्यायालय ने नियम 10 ए पर विचार किया और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणी की:

" 6. नियम 10 (ए) (ii) इस प्रकार है:

" 10. (क) (ii) इन नियमों या विशेष नियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यताएँ

सरकार के कार्यकारी आदेश या स्थायी आदेश

विशेष में एक पद के लिए निर्दिष्ट योग्यता के बराबर

नियम और ऐसी उच्च योग्यताएँ जो

निम्न योग्यता के अधिग्रहण का अनुमान लगाएं पद के लिए निर्धारित पद भी पद के लिए पर्याप्त होगा।

7. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सच है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा है कि जब प्रासंगिक नियमों के तहत कोई योग्यता निर्धारित की गई है, तो उसे किसी भी तरह से कम नहीं किया जा सकता है और एक अलग योग्यता को अपनाया नहीं जा सकता है। उच्च न्यायालय का यह कहना भी उचित है कि उच्च योग्यता स्पष्ट रूप से होनी चाहिए

निम्न के अधिग्रहण को इंगित या पूर्वनिर्धारित करें उस पद के लिए निर्धारित योग्यता ताकि उसे आकर्षित किया जा सके

नियम का हिस्सा इस प्रभाव के लिए कि उन उच्च लोगों में से

12 (2003) 3 एस. सी. सी. 548 13 (2010) 15 एस. सी. सी. 596 पुनीत शर्मा बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

ऐसी योग्यताएँ जो पद के लिए निर्धारित निम्न योग्यताओं के अधिग्रहण का अनुमान लगाती हैं, वे भी पद के लिए पर्याप्त होंगी। यदि किसी व्यक्ति ने एक ही संकाय में उच्च योग्यता प्राप्त की है, तो ऐसी योग्यताओं को निश्चित रूप से निम्न योग्यताओं के अधिग्रहण के लिए कहा जा सकता है।

पद के लिए निर्धारित। इस मामले में दूर की तलाश करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

8. प्रासंगिक नियमों के तहत, सहायक अभियंता के पद के लिए, केरल विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या अन्य समकक्ष योग्यता या उसके समकक्ष योग्यता निर्धारित की गई है। एक उच्च पद के लिए जब एक सीधी भर्ती आयोजित की जानी है, तो जो योग्यता प्राप्त की जानी है, वह स्पष्ट रूप से एक संकेत देती है कि ऐसी योग्यता है निश्चित रूप से उसके लिए निर्धारित योग्यता से अधिक योग्यता

निचला पद, अर्थात् उप-अभियंता का पद। इस मामले के दृष्टिकोण से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की योग्यता निम्न योग्यता के अधिग्रहण का अनुमान लगाती है

पद के लिए निर्धारित विषय में डिप्लोमा, उस पद के लिए पर्याप्त माना जाएगा। 9. यदि सरकार का विचार है कि केवल डिप्लोमा धारकों को उप-अभियंता के पद के लिए आवेदन करना चाहिए था, लेकिन

वे सभी जो उच्च योग्यता रखते हैं, या तो इस नियम को उन उम्मीदवारों के संबंध में बाहर रखा जाना चाहिए था जिनके पास उच्च योग्यता है या पद होना चाहिए था

यह स्पष्ट किया गया है कि डिग्री धारक ऐसे पद के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। जब वह स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, लेकिन दूसरी ओर नियम उसी संकाय में उच्च योग्यता रखने वालों को स्वयं अयोग्य नहीं ठहराते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि नियम को उचित तरीके से समझा जा सकता है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है। मामले के उस दृष्टिकोण में आदेश [ज्योति के. के. बनाम। केरल लोक सेवा आयोग, 1998 की मूल याचिका संख्या 9602, उच्च न्यायालय के दिनांकित 30-3-2000 (केर) के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है। इस मामले में हम इस सवाल से चिंतित नहीं हैं कि क्या वे सभी जिनके पास ऐसा है योग्यताएँ लागू हो सकती थीं या नहीं। जब वैधानिक नियम प्रकाशित किए जाते हैं और वे नियम लागू होते हैं, तो यह

यह अनुमान लगाया जाता है कि ऐसी नियुक्तियों से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति उचित आवेदन करने से पहले ऐसे नियमों से अवगत होगा या खुद को नियमों से अवगत कराएगा।

इसलिए, न्यायालय का यह मानना उचित नहीं है कि अपीलार्थियों की भर्ती जनता के साथ धोखाधड़ी होगी।

24. अतः यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय की राय थी कि उप-अभियंता के पद के लिए (जिसे वर्तमान मामले में कनिष्ठ अभियंता के पद के साथ तुलनीय कहा जा सकता है), केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने महसूस किया कि जिनके पास डिग्री है, उन पर भी विचार किया जा सकता है। इस अदालत ने इस तर्क को बरकरार रखा।

25. अनीता (ऊपर) में यह अदालत जे. बी. टी. शिक्षकों से संबंधित थी, जहाँ न्यूनतम योग्यता दो साल की 'कनिष्ठ बुनियादी शिक्षक' थी। प्रशिक्षण। एम. एस. सी., बी. एड. और एम. ए. योग्यता वाले लोगों को नौकरी की प्रकृति यानी प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने को देखते हुए अयोग्य ठहराया गया था। ज्योति (सुप्रा) को प्रतिष्ठित किया गया था क्योंकि नियुक्ति प्राधिकारी के पास विकल्प था

उच्च योग्यता वाले व्यक्तियों की नियुक्ति पर विचार करना।

26. जहूर अहमद राथर (ऊपर) में विचाराधीन पद था

योग्यता "संबंधित व्यापार में आई. टी. आई. के साथ मैट्रिक" थी। द. अपीलार्थियों के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा था और उन्हें अयोग्य उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया गया था। इसके परिणामस्वरूप मुकदमेबाजी हुई जिसकी परिणति अंततः इस अदालत के फैसले में हुई। इस न्यायालय ने अपने निर्णय 1 4 में कहा:

" उपरोक्त प्रावधानों के साथ-साथ बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन में, प्रत्येक उम्मीदवार के पास निर्धारित शैक्षणिक/पेशेवर/तकनीकी योग्यता होनी चाहिए और अन्य सभी पात्रता शर्तों को पूरा करना चाहिए। विद्युत विकास विभाग में तकनीशियन III के पद के लिए निर्धारित योग्यता संबंधित विषयों में आई. टी. आई. के साथ मैट्रिक है।

व्यापार। बोर्ड ने अपनी 116 वीं बैठक में इस तथ्य पर ध्यान दिया कि कुछ जिलों में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा वाले उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार आयोजित किए गए थे, जबकि अन्य जिलों में डिप्लोमा वाले उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार आयोजित नहीं किए गए थे।

तकनीशियन III के पद के लिए योग्य माना जाता है।

इसके अलावा, विभिन्न ट्रेडों में आईटीआई वाले उम्मीदवारों का भी इस पद के लिए साक्षात्कार लिया गया था। बोर्ड ने अपनी बैठक में संकल्प लिया कि केवल संबंधित व्यापार में एक आई. टी. आई., अर्थात् विद्युत व्यापार, निर्धारित योग्यता है।

विज्ञापन।

" "

14 (2019) 2 एस. सी. सी. 404 पुनीत शर्मा बनाम।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

27. इसके बाद, न्यायालय ने पी. एम. ए., ज्योति के. के. और अनीता (उपरोक्त) में पिछले फैसलों पर चर्चा की, फिर निष्कर्ष निकाला कि उम्मीदवारी ई. डिप्लोमा धारकों को सही ढंग से खारिज कर दिया गया था और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

" 26. हम ज्योति के. के. मामले में फैसले पर दी गई व्याख्या के साथ सम्मानजनक सहमति में हैं। [ज्योति के. के. बनाम। केरल लोक सेवा आयोग (2010) 15 एस. सी. सी. 596: (2013) 3 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 664] अनीता [पंजाब राज्य बनाम। अनीता (2015) 2 एस. सी. सी. 170: (2015)

1 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 329]। ज्योति के. के. में निर्णय। [ज्योति।

के. के. वी. केरल लोक सेवा आयोग (2010) 15 एस. सी. सी. 596: (2013) 3 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 664] ने नियम 10 (ए) (ii) के प्रावधानों को लागू कर दिया। इस तरह के नियम के बिना, इसकी अनुमति नहीं होगी

एक निष्कर्ष निकालें कि एक उच्च योग्यता आवश्यक है

दूसरे के अधिग्रहण का अनुमान लगाता है, हालांकि कम,

योग्यता. एक पद के लिए योग्यता का निर्धारण है

भर्ती नीति का मामला। नियोक्ता के रूप में राज्य है

योग्यता को एक शर्त के रूप में निर्धारित करने का अधिकार योग्यता। यह न्यायिक समीक्षा की भूमिका या कार्य का कोई हिस्सा नहीं है।

निर्धारित योग्यताओं के दायरे का विस्तार करना।

इसी तरह, किसी योग्यता की समानता कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में निर्धारित किया जा सके।

क्या कोई विशेष योग्यता होनी चाहिए या नहीं

नियुक्ति प्राधिकरण, निर्धारित करने के लिए। ज्योति में निर्णय के. के [ज्योति के. के. बनाम। केरल लोक सेवा आयोग (2010) 15 एस. सी. सी. 596: (2013) 3 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 664] ने एक विशिष्ट चालू किया

सांविधिक नियम जिसके अधीन उच्चतर की धारण योग्यता कम के अधिग्रहण का अनुमान लगा सकती है

योग्यता. वर्तमान मामले में इस तरह के नियम की अनुपस्थिति अंतिम परिणाम के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर बनाती है। मामले के इस दृष्टिकोण में, डिवीजन बेंच [इम्तियाज़]

अहमद बनाम। जहूर अहमद राथर, 2017 का एल. पी. ए. (एस. डब्ल्यू.) संख्या 135, ने उच्च न्यायालय के 12-10-2017 (जे. एंड. के.) पर निर्णय लिया, निर्णय को उलटने में उचित था [जहूर अहमद राथर बनाम। विद्वान एकल न्यायाधीश का जम्मू और कश्मीर राज्य, 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन जे. एंड के. 936] और इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कि अपीलकर्ताओं ने नहीं किया

निर्धारित योग्यताओं को पूरा करें। हम इसमें कोई त्रुटि नहीं पाते हैं निर्णय [इम्तियाज़ अहमद बनाम। जहूर अहमद राथर, एल. पी. ए. (एस. डब्ल्यू.)

21] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2017 का सं. 135,12-10-2017 (J & K) पर तय किया गया डिवीजन बेंच।

27. किसी पद के लिए योग्यता निर्धारित करते समय, राज्य, नियोक्ता के रूप में, वैध रूप से नौकरी की प्रकृति, कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक योग्यता, नौकरी की कार्यक्षमता सहित कई विशेषताओं को ध्यान में रख सकता है।

योग्यता और अध्ययन के पाठ्यक्रम की सामग्री जो

यह योग्यता प्राप्त करने की ओर ले जाता है। राज्य है

अपनी सार्वजनिक सेवाओं की जरूरतों का आकलन करने के लिए प्राधिकरण को सौंपा गया। प्रशासन की आवश्यकताएँ, यह एक साधारण कानून है, जो प्रशासनिक निर्णय लेने के क्षेत्र में आती हैं। एक सार्वजनिक नियोक्ता के रूप में राज्य सामाजिक दृष्टिकोण को अच्छी तरह से ध्यान में रख सकता है

जिसके लिए रोजगार के अवसरों के सृजन की आवश्यकता है

सामाजिक संरचना। ये सभी अनिवार्य रूप से नीतिगत मामले हैं।

न्यायिक समीक्षा को सावधानीपूर्वक चलना चाहिए। इस वजह से लिया गया फैसला

ज्योति के. के. [ज्योति के. के. बनाम। केरल लोक सेवा आयोग (2010) 15 एस. सी. सी. 596: (2013) 3 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 664] होना चाहिए के तहत एक विशिष्ट वैधानिक नियम के संदर्भ में समझा गया

जो एक उच्च योग्यता का धारण करता है जो पूर्व निर्धारित करता है इस पद के लिए कम योग्यता प्राप्त करना पर्याप्त माना जाता था। यह विशिष्ट नियम के संदर्भ में था।

कि ज्योति के. के. में निर्णय। [ज्योति के. के. बनाम। केरल पब्लिक सेवा आयोग, (2010) 15 एससीसी 596: (2013) 3 एससीसी (एल एंड एस)

664] मुड़ गया "।

28. पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य प्रबंधक और अन्य बनाम अनित कुमार मामले में इस अदालत के बाद के फैसले पर ध्यान देना भी उपयोगी होगा।

दास 2020 एस. सी. सी. ऑन लाइन एस. सी. 897 जहाँ मुद्दा था, क्या अपीलार्थी बैंक में चपरासी का पद, एक डिग्री धारक (स्नातक) हो सकता है

नियुक्त, नियोक्ता के सचेत निर्णय को देखते हुए, कि केवल 10 + 2 उत्तीर्ण योग्यता रखने वालों पर विचार किया जाएगा और स्नातक योग्यता रखने वालों पर विचार नहीं किया जा सकता है। इस अदालत ने कहा कि

प्रत्यर्थी की नियुक्ति, जो एक स्नातक था, जब उसने इस तथ्य को दबा दिया कि उसके पास एक डिग्री थी, और इसका खुलासा नहीं किया, असमर्थनीय था। इस संदर्भ में, यह देखा गया कि किस श्रेणी के पदों पर कौन सी योग्यताएं लागू होती हैं, यह नियोक्ता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विवेकाधिकार का विषय है, जिस पर अदालतें हस्तक्षेप करने में देरी करेंगी। यह निर्णय भी वर्तमान मामले में निष्कर्षों का समर्थन करता है, क्योंकि नियोक्ता, एच. पी. एस. ई. बी. का कहना है कि वह डिग्री धारकों को जे. ई. के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य मानता है।

पुनीत शर्मा बनाम। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

29. वर्तमान मामले में, नियमों से जो स्पष्ट है वह यह है कि

एच. पी. एस. ई. बी. में जे. ई. के पद पर सीधी भर्ती 72 प्रतिशत है। निस्संदेह, योग्यता उन लोगों में से है जो मैट्रिक या स्नातक में उत्तीर्ण हुए हैं।

31. यह न्यायालय इस बात से अवगत है कि विचाराधीन मुद्दा यह है कि विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा की न्यूनतम योग्यता क्या है। इंजीनियरिंग या अन्य निर्धारित योग्यताओं में उस विषय में एक डिग्री शामिल है। हालाँकि, नियमों पर समग्र रूप से विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार देखें तो दो उप-कोटा इस प्रकार हैं:

(2) 5 % जूनियर इंजीनियर के रूप में शामिल होने से पहले डिग्री रखने वालों को सक्षम बनाना;
32. उत्तरार्द्ध (2) निर्णायक रूप से यह स्थापित करता है कि नियम बनाने वाले प्राधिकारी के दिमाग में निस्संदेह यह था कि डिग्री धारक भी कर सकते थे।

समकक्ष या उच्चतर योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के रूप में जे. ई. के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करें। यदि इस तरह की व्याख्या नहीं की जाती, तो जूनियर इंजीनियर के रूप में शामिल होने से पहले डिग्री धारक लोगों के लिए अलग रखे गए 5 प्रतिशत उप-कोटे का कोई अर्थ नहीं होता।

वर्तमान में भर्ती के नियम।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

33. 03.06.2020 पर लाए गए नवीनतम संशोधन से अदालत की राय मजबूत होती है। यह संदेह से परे स्पष्ट करता है कि पद के लिए भी

जूनियर इंजीनियरों में से, वे व्यक्ति जो उच्च योग्यता रखते हैं

प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य। इस न्यायालय की राय में, हालांकि संशोधनकारी नियमों को संभावित रूप से लागू किया गया था, फिर भी,

स्पष्ट रूप से, वे उस भर्ती के लिए आवेदन करते हैं जो वर्तमान विवाद का विषय है। ऐसी स्थिति (अर्थात स्पष्टीकरणात्मक संशोधन)

इस अदालत के कई पिछले फैसलों में पूर्वव्यापी रूप से कार्यात्मक, उनके संभावित प्रवर्तन के बावजूद) आयोजित किया गया है। ज़िले सिंह बनाम। हरियाणा राज्य 1 5 इस न्यायालय ने वैधानिक व्याख्या पर विभिन्न प्राधिकरणों की जांच की और निष्कर्ष निकाला: (एससीसी पीपी। 8-9 , पैरा 13-14)

" 13. यह निर्माण का एक प्रमुख सिद्धांत है कि प्रत्येक क़ानून प्रथम दृष्टया संभावित है जब तक कि यह स्पष्ट रूप से या पूर्वव्यापी संचालन के लिए आवश्यक निहितार्थ द्वारा नहीं किया जाता है। लेकिन नियम सामान्य रूप से लागू होता है जहां क़ानून का उद्देश्य निहित अधिकारों को प्रभावित करना या नया बोझ डालना या मौजूदा दायित्वों को कम करना है। जब तक कानून में मौजूदा अधिकारों को प्रभावित करने के लिए विधायिका के इरादे को दिखाने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं हैं, तब तक इसे केवल संभावित माना जाता है-'नोवा कॉन्स्टीटचूशियोफ्यूचरिसफॉर्ममिपोनेरेडबेट नॉन प्रेटेरिटिस'-एक नए कानून को यह विनियमित करना चाहिए कि आगे क्या होना है, न कि अतीत को। (न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत, 9वीं संस्करण देखें। , 2004 पृष्ठ 438 पर) यह आवश्यक नहीं है कि एक क़ानून को पूर्वव्यापी बनाने के लिए एक स्पष्ट प्रावधान किया जाए और पूर्वव्यापीता के खिलाफ धारणा का खंडन किया जा सके

विशेष रूप से ऐसे मामले में आवश्यक निहितार्थ जहां नया कानून है के लाभ के लिए एक स्वीकृत बुराई को ठीक करने के लिए बनाया गया

समग्र रूप से समुदाय (आई. बी. आई. डी., पृष्ठ 440)।

14. पूर्वव्यापी संचालन के खिलाफ धारणा घोषणात्मक कानूनों पर लागू नहीं होती है। इसलिए, अधिनियम की प्रकृति का निर्धारण करने में, रूप के बजाय सार को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि कोई नया अधिनियम किसी पूर्ववर्ती अधिनियम की 'व्याख्या' करने के लिए है, तो इसका तब तक कोई उद्देश्य नहीं होगा जब तक कि इसका पूर्वव्यापी अर्थ न लगाया जाए। एक व्याख्यात्मक अधिनियम आम तौर पर एक स्पष्ट चूक प्रदान करने या पिछले अधिनियम के अर्थ के

बारे में संदेह को दूर करने के लिए पारित किया जाता है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि कोई क़ानून उपचारात्मक है या केवल

1 5 (2004) 8 एस. सी. सी. 1 पुनीत शर्मा बनाम।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

पिछले कानून पूर्वव्यापी संचालन की घोषणात्मक है

सामान्य रूप से अभिप्रेत। एक संशोधन अधिनियम विशुद्ध रूप से हो सकता है मूल अधिनियम के एक प्रावधान का अर्थ स्पष्ट करने के लिए घोषणात्मक जो पहले से ही निहित था। इस प्रकृति के एक स्पष्टीकरणात्मक संशोधन का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा (आईबीआईडी)। , पीपी। 468-69) . ”

34. विजय बनाम। महाराष्ट्र राज्य ", इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 12. अपीलार्थी को क़ानून के प्रावधानों के अनुसार चुना गया था। निर्वाचित होने का अधिकार एक क़ानून द्वारा बनाया गया था और इस प्रकार, एक क़ानून द्वारा छीन लिया जा सकता है। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि जब पूर्वव्यापी प्रभाव देने वाले प्रावधान का शाब्दिक अध्ययन बेतुका या विसंगति पैदा नहीं करता है, तो इसे केवल संभावित नहीं माना जाएगा। निषेध एक कठोर नियम नहीं है और विधायिका के इरादे और उद्देश्य के साथ भिन्न होता है, लेकिन ऐसे मामले में इसे लागू करना एक सिद्धांत है

निष्पक्षता। जब लाभ के लिए कोई कानून बनाया जाता है

समग्र रूप से समुदाय, एक प्रावधान के अभाव में भी, क़ानून को प्रकृति में पूर्वव्यापी माना जा सकता है। अपीलार्थी की क्षमता पर सवाल नहीं उठाता है और न ही कर सकता है इस संबंध में विधायिका।

35. इसी तरह, मनीष कुमार बनाम भारत संघ "में, यह आयोजित किया गया था।

वह:

“ घोषणात्मक, स्पष्टीकरणात्मक या उपचारात्मक कानूनों को अतीत में प्रभाव रखने की अनुमति है। उक्त कानूनों की प्रकृति में लोक हित का पहलू शामिल है जिसके लिए संप्रभु विधानमंडल को दोषों को दूर करने, उन पहलुओं को स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है जो संदेह पैदा करते हैं। घोषणात्मक कानून का फिर से प्रभाव पड़ता है

विधायी मंशा स्पष्ट की जा रही है। इन कानूनों के मामले में उन्हें दाग के साथ चित्रित करना उचित नहीं हो सकता है

पूर्वावलोकन।

36. यह भी ध्यान देने योग्य होगा कि अपील में यह विशेष रूप से कहा गया है कि एचपीएसईबी अनुबंध कर रहा है

जूनियर कैडर में डिग्री धारकों के बीच से नियुक्तियाँ

इंजीनियर, और यह कि जाँच समिति की सिफारिश पर एक आदेश जारी किया गया था, जिसने 11.04.2018 पर आयोजित अपनी बैठक के माध्यम से ऐसे 28 उम्मीदवारों के नियमितीकरण को मंजूरी दे दी थी। इन डिग्री धारकों

जूनियर इंजीनियरों के बराबर हैं, और 4 से 6 साल के बीच की अवधि के लिए काम कर रहे थे। उस आदेश की एक प्रति विशेष अनुमति याचिका में अनुलग्नक पी-10 के रूप में प्रस्तुत की गई है। 1 8

37. पी. एम. लता, योगेश कुमार, अनीता (सुप्रा) जैसे पिछले फैसलों में इस अदालत के विचार इस मामले के तथ्यों से काफी अलग थे। इस अदालत का निष्कर्ष है कि एक विशिष्ट योग्यता का प्रिस्क्रिप्शन, जिसे आम तौर पर उच्च योग्यता के रूप में माना जाता है, कुछ श्रेणियों के पदों पर लागू हो सकता है। इस प्रकार, लता और योगेश कुमार के साथ-साथ अनीता (उपरोक्त) में जिनके पास डिग्री या स्नातकोत्तर या बी. एड. की डिग्री थी, वे नहीं थे।

प्राथमिक या कनिष्ठ शिक्षक के पद के लिए योग्य माना जाता है। इसी तरह, "तकनीशियन-III" या निचले पद के लिए, जूनियर इंजीनियर यानी डिप्लोमा धारकों के पद के लिए समकक्ष योग्यता को माना जाता था ज़हूर अहमद राथर (ऊपर) में बाहर कर दिया गया है। यह अदालत इस तथ्य से अवगत है कि अनीता के साथ-साथ ज़हूर (ऊपर) में ज्योति (ऊपर) में शर्त जिसने उम्मीदवारों के विचार को सक्षम बनाया

उच्च योग्यता के साथ एक विशिष्ट आधार माना जाता था। एच. पी. एस. ई. बी. नियमों में ऐसी कोई शर्त मौजूद नहीं है। फिर भी, भौतिक महत्व का तथ्य यह है कि सहायक अभियंता के उच्च पद (कनिष्ठ अभियंता के पदानुक्रम में अगला) में लगभग दो तिहाई (64 प्रतिशत) पदोन्नति कोटा है। इन व्यक्तियों में, जिन लोगों के पास जूनियर इंजीनियर के रूप में नियुक्ति से पहले डिग्री थी, वे एक अलग और विशिष्ट उप-कोटे में विचार के हकदार हैं, बशर्ते कि वे लगातार एक जूनियर इंजीनियर के रूप में कार्य करते रहें। निर्धारित अवधि। इस प्रमुख पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है; यह केवल नियम निर्माताओं के इरादे को दर्शाता है कि वे डिग्री धारकों को इससे बाहर नहीं करेंगे।

जूनियर इंजीनियरों के निचले पद के लिए विचार। 38. जैसा कि पहले देखा गया है, उपरोक्त विचारों के अलावा, 03.06.2020 पर नियमों में एक संशोधन किया गया था जिसमें घोषणा की गई थी कि वे

जिन्होंने भाग लिया, और सापेक्ष गुणों के आधार पर, जारी करने के लिए आगे बढ़ते हैं 18 8 2020 की एस. एल. पी. (सी) 10533-37 पुनीत शर्मा बनाम।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.

इंटरव आयोजित करने के बाद सभी सफल उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची

आदि। विवादित निर्णय को तदनुसार अलग कर दिया जाता है; अपील की अनुमति दी जाती है और रिट याचिका को आंशिक रूप से, उपरोक्त शर्तों में, लागत पर आदेश के साथ अनुमति दी जाती है।

देविका गुजराल

अपीलों की अनुमति और लिखित याचिका

आंशिक रूप से ए